"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर 2012—आश्विन 4, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/33/2012/वाक/पांच (45).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2011 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी नियत समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है. कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, न्याय हित में यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये नियत समय-सीमा बढ़ाई जाए.

अत: छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाहियां जो उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, जो 31 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च, 2013 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-10/33/2012/वाक/पांच (45).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2012/वाक/पांच (45), दिनांक 26-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th September 2012

NOTIFICATION

No. F-10/33/2012/CT/V (45).—Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2011 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government, hereby, extends up to 31st March, 2013, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Deputy Commissioner of Commercial Tax, Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by 31st October, 2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/33/2012/वाक/पांच (46).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2012 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी नियत समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है. कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, न्याय हित में यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये नियत समय-सीमा बढ़ाई जाए.

अतः छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाहियां जो उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 30 जून, 2013 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-10/33/2012/वाक/पांच (46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2012/वाक/पांच (46), दिनांक 26-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th September 2012

NOTIFICATION

No. F-10/33/2012/CT/V (46).—Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2012 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government, hereby, extends up to 30th June, 2012, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Deputy Commissioner of Commercial Tax, Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by 31st December, 2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/34/2012/वाक/पांच (47).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान एवं नियमों के क्रियान्वयन से अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है, यथा :—

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु	वित्तीय वर्ष 2008-09	धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2) (क).	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 के अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसा पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 40 लाख से कम है.			कर चुका है तथा ऐसा पत्रक दिनांक 30-11-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 40 लाख से अधिक किन्तु रु. 10 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2008-09	धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग), धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक) (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2) (क) तथा धारा 41 की उपधारा (2)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 इलेक्ट्रानिक पद्धति से एवं इसके अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा ऐसे पत्रक के साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44(AB) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली आडिट रिपोर्ट की प्रति दिनांक 30-11-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.
3.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ या इससे अधिक है.	वित्तीय वर्ष 2008-09	धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क).	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 इलेक्ट्रानिक पद्धति से एवं इसके अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा ऐसे पत्रक के साथ छ.ग. मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में निर्धारित प्रारूप-50 में आडिट रिपोर्ट दिनांक 30-11-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-10/34/2012/वाक/पांच (47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/34/2012/वाक/पांच (47), दिनांक 26-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, सयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th September 2012

NOTIFICATION

No. F-10/34/2012/CT/V (47).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, the class of dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the act and rules as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealers, whose annual turnover is less than Rs. 40 lac, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.	Financial year 2008-09	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a).	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form upto 30-11-2012.
2.	Registered dealers, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover exceed Rs. 40 lac but less than Rs. 10 crore, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II.	Financial year 2008-09	Clause (c) of sub-section (1) of section 19, Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20(2) (a) and sub-section (2) of section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form electronically upto 30-11-2012 alongwith audit report required under section 44(AB) of Income Tax Act, 1961.
3.	Registered dealers, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is Rs. 10 crore or more, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II.	Financial year 2008-09	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a).	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form electronically upto 30-11-2012 alongwith audit report in Form-50 prescribed in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.